न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः—08 / 2025 दायरा दिनांक 14.05.2025

पीठासीन अधिकारी :—श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

नुरकाबाई पुत्री शान्तीलाल जाति काछी निवासी महरावता की रूण्डी तहसील किशनगंज जिला बारॉ (राज.)
—अपीलान्ट

—: बनाम :—

1. कमलाबाई पुत्री शान्तीलाल पत्नि किशनलाल जाति काछी निवासी ठाकुर जी के मंदिर के पास महरावता तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंन जिला बारां (राज.)

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :—

श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा :— वकील, अपीलान्ट।
श्री भगवानलाल नरवरिया :— वकील रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 246 दिनांक 24.06.1984 ग्राम महरावता तहसील किशनगंज

निर्णय दिनांक 29.09.2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 246 दिनांक 24.06.1984 ग्राम महरावता को निरस्त करने बाबत् इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, किशनगंज के द्वारा प्रमाणित किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जा कर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड एवं रेस्पोडेन्टगण की तलबी की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि ग्राम महरावता पटवार हल्का रानीबडौद तहसील किशनगंज के माल में आराजी खसरा नं. 339 रकबा 4.01 बीघा, खसरा नं. 636 रकवा 3.11 बीघा किता 2 कुल रकबा 7.12 बीघा बाद सेटलमेंट वर्तमान खाता संख्या नई—'18 पुरानी—13 खसरा नं. 413 रकवा 0.66 हैक्टेयर,खसरा नं. 812 रकवा 0.58 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकवा 1.24 हैक्टेयर अवस्थित हैं। उक्त आराजी बावत् तस्दीक किये गये इन्तकाल नम्बर 246 दिनांक 24.06.1984 को अपील में आगे विवादित इन्तकाल के नाम से सम्बोधित किया गया है।

यह कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम—1 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैं—

शान्तीलाल — मूल खातेदार (फौत)

नुरकाबाई–पुत्री	प्रेमनारायण–पुत्र (कुँवारा फौत)	कमलाबाई–पत्नि (नाता विवाह किशनलाल काछी)

यह कि उक्त फौती इन्तकाल नं. 246 दिनांक 24.06.1984 को विवादित आराजी के मूल खातेदार शान्तीलाल पुत्र नेनगा जाति काछी निवासी महरावता के फौत होने पर उनके पुत्र प्रेमनारायण एवं उसकी पत्नि कमलाबाई के पक्ष में तस्दीक किया गया। प्रेमनारायण पुत्र शान्तीलाल का अविवाहित रहने के दौरान ही देहान्त हो चुका हैं। रेस्पोडेन्ट कम 1 ने शान्तीलाल के देहान्त के बाद किशनलाल पुत्र गणपत जाति काछी निवासी महरावता से नाता विवाह कर लिया हैं। उक्त फौती इन्तकाल नं. 246 दिनांक 24.06.1984 तस्दीक करते वक्त अपीलान्ट का नाम छोड कर सम्पूर्ण विवादित आराजी पर प्रेमनारायण एवं कमलाबाई के नाम शान्तीलाल का फौती इन्तकाल तस्दीक कर दिया गया। विवादित आराजी के मूल खातेदार शान्तीलाल के अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 जायज वारिसान एवं कायम मुकामान हैं। मुतक खातेदार शान्तीलाल के एक पुत्री अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 मुतक की विरासत विवादित आराजी में बराबर–बराबर हिस्से अनुसार धारण करने के कानूनी रूप से अधिकारी हैं।

यह कि रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अपीलान्ट के पिता शान्तीलाल पुत्र नेनगा के फौत होने के पश्चात् राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत एवं सॉठ गॉठ करके अपीलान्ट का नाम छुपाकर फर्जी तरीके से षडयंत्र पूर्वक अपीलान्ट के पिता के खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित आराजी पर स्वंय एवं प्रेमनारायण का नाम दर्ज करवाकर विवादित इन्तकाल नं. 246 दिनांक 24.06.1984 अवैधानिक रूप से तस्दीक करवा लिया और अपीलान्ट की 1/2 हिस्सा आराजी को हडप लिया। जबकि अपीलान्ट मुतक शान्तीलाल की पुत्री होने के कारण रेस्पोडेन्ट कम 1 के बराबर की 1/2 हिस्सा आराजी की उत्तराधिकारी हैं। अस्तु अपीलान्ट अवैधानिक रूप से तस्दीक किये गये विवादित इन्तकाल नं. 246 दिनांक 24.06.1984 को निरस्त करवा पाने की अधिकारणी हैं।

यह कि इन्तकाल नं. 246 दिनांक 24.06.1984 अपीलान्ट के विरूद्व अवैधानिक रूप से तस्दीक किया गया हैं , जो अपीलान्ट के हितों को नुकसान पहुंचाने की गरज से रेस्पोडेन्टकम 1 एवं राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से तस्दीक किया गया हैं। जिससे अपीलान्ट के काश्तकारी हक हकूको पर भारी विपरित प्रभाव पडा हैं। जिससे अपीलान्ट अपने पिता के खातेदारी की 1/2 हिस्सा आराजी प्राप्त करने से महरूम हो गई हैं। अस्तु अपीलान्ट अवैधानिक रूप से तस्दीक किये गये विवादित इन्तकाल नं. 246 दिनांक 24.06. 1984 को निरस्त करवा पाने की अधिकारणी हैं।

यह कि अपीलान्ट दिनांक 21.02.2025 को अपने खातेदारी की नकल लेने हेतु हल्का पटवारी के पास गई तब हल्का पटवारी द्वारा विवादित इन्तकाल के बारे में जानकारी देने पर नकल इन्तकाल दिनांक 07.04. 2025 को प्राप्त होने पर अपीलान्ट पैसो का इन्तजाम करने हेतु गॉव चली गई , पैसों का इन्तजाम करके अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं।

यह कि अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं।

रेस्पोडेन्टकम 1 कमलाबाई की ओर से निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत हैं–

1. यह कि अपील की मद नं. 1 में वर्णित आराजी स्थित होना स्वीकार हैं किन्तु इन्तकाल नं. 246 दिनांक 24.06.1984 को विवादित बताया गया हैं जो गलत हैं अस्वीकार हैं।
2. यह कि अपील की मद नम्बर 2 जिस प्रकार लिखी गई हैं अस्वीकार हैं।
3. यह कि अपील की मद नम्बर 3 फौती नामान्तरकरण संख्या 246 दिनांक24.06.1984 को विवादित आराजी के मूल खातेदार शांतिलाल पुत्र नेनगा काछी निवासी महरावता के फौत होने पर उने पुत्र प्रेमनाराण एवं उनकी पत्नि कमलाबाई के पक्ष में तस्दीक किया जाना स्वीकार हैं। रेस्पोडेन्ट कम 1

किशनलाल के नाते जाने की बात अस्वीकार हैं। शेष इबारत जिस प्रकार लिखी गई हैं अस्वीकार हैं। वस्तुस्थिति विशेष आपत्तियों में दर्ज हैं।

4. यह कि अपील की मद नम्बर 4 सर्वथा गलत लिखी होने से अस्वीकार हैं।
5. यह कि अपील की मद नम्बर 5 सर्वथा गलत लिखी होने से अस्वीकार हैं।
6. यह कि अपील की मद नम्बर 5 सर्वथा गलत लिखी होने से अस्वीकार हैं। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व से ही जब से नामान्तरकरण खुला तब से थी किन्तु आज तक उसने कोई अपील या वाद दायर नहीं किया इसलिए अपील बेरूम मियाद है जा चलने योग्य नहीं हैं। धारा 5 अधीनियम के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपना निर्णय 2024 वोल्यूम नम्बर 4 डी एन जे में स्पष्ट लिखा है कि मियाद बाहर अपील में धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना चाहिए।
7. यह कि अपील मद नम्बर 7 में मियाद अधीनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है या नहीं यह जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं।
8. यह कि अपील मद नम्बर 8 कानूनी हैं।
9. यह कि अपील मद नम्बर 9 कानूनी हैं।
10. यह कि अपील मद नम्बर 10 कानूनी हैं।

प्रार्थना अपीलान्ट सर्वथा गलत है अस्वीकार हैं।

विशेष आपत्तिया

01. यह कि शांतिलाल के स्वर्गवास के समय अपीलान्ट की शादी हो चुकी थी, ससुराल जा चुकी थी और उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 246 दिनांक 24.06.1984 अपीलान्ट की उपस्थिति में व उसकी दादी की सहमति से खोला गया है जो उसकी जानकारी में तब से ही रहा हैं। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (5) के तहत पिता की सम्पत्ति में 9 सितम्बर 2005 के पूर्व यदि पिता की मृत्यु होती हैं तो उसकी पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता हैं। ऐसा माननीय उच्च न्यायालय का मत हैं।
02. यह कि उक्त आराजी शांतिलाल के बीमार होने से उसके इलाज के लिए एसबीआई बैंक किशनगंज से ऋण लिया गया था जो उसके खाते में रहन दर्ज हैं इसलिए उक्त इन्तकाल खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि ऋण के बैंक ऋण का जिम्मेदार कौन रहेगा।
03. यह कि अपीलान्ट का विवाह उसके पिता के समय बडी धूमधाम से काफी पैसा खर्च कर गांव के पटेल हीरालाल के साथ संपन्न किया था जिसके पास उसके खाते की जमीन थी तथा पटेल हीरालाल झगडालू प्रवृति होने की वजह से उसका अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मर्डर कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके खाते की आराजी अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज हैं।
04. यह कि फिर भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपीलान्ट की सन्तान को अपनी नातिन के रूप में मानती है और उसकी एक पुत्री हमेशा बीमार रहती हैं जिसका इलाज भी रेस्पोडेन्ट कम 1 कमलाबाई ही करवा रही है जबकि अपीलान्ट ने उस बीमार पुत्र को घर से त्याग कर भगा दिया है और रेस्पोडेन्ट के संरक्षण में रह रही है तथा रेस्पोडेन्ट कम 1 ही उसका भरण पोषण कर रही हैं।
05. यह कि चूंकि इन्तकाल नम्बर 246 दिनांक 24.06.1984 का खुला हुआ हैं जो आपसी सहमति से खुलाया गया है जिसे 41 वर्ष हो चुके है इसलिए उक्त इन्तकाल खारिज होने योग्य नहीं हैं।

विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया की रेस्पोडेन्ट कम 1 ने शान्तीलाल के देहान्त के बाद किशनलाल पुत्र गणपत जाति काछी निवासी महरावता से नाता विवाह कर लिया हैं। उक्त फौती इन्तकाल नं. 246 दिनांक 24.06.1984 तस्दीक करते वक्त अपीलान्ट का नाम छोड कर

सम्पूर्ण विवादित आराजी पर प्रेमनारायण एवं कमलाबाई के नाम शान्तीलाल का फौती इन्तकाल तस्दीक कर दिया गया। प्रेमनारायण कुवॉरा फौत हो चुका हैं। विवादित आराजी के मूल खातेदार शान्तीलाल के अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 जायज वारिसान एवं कायम मुकामान हैं।

अपीलान्ट के पिता के खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित आराजी पर स्वंय एवं प्रेमनारायण का नाम दर्ज करवाकर विवादित इन्तकाल नं. 246 दिनांक 24.06.1984 अवैधानिक रूप से तस्दीक करवा लिया और अपीलान्ट की 1/2 हिस्सा आराजी को हडप लिया। जबकि अपीलान्ट मुतक शान्तीलाल की पुत्री होने के कारण रेस्पोडेन्ट कम 1 के बराबर की 1/2 हिस्सा आराजी की उत्तराधिकारी हैं। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण उपरोक्त वर्णित आधार पर अवैध विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान वकील उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने कथन किया की विवादित फौती इन्तकाल नं. 246 दिनांक 24.06.1984 तस्दीक करते वक्त अपीलान्ट का नाम छोड कर सम्पूर्ण विवादित आराजी पर प्रेमनारायण एवं कमलाबाई के नाम शान्तीलाल का फौती इन्तकाल तस्दीक कर दिया गया। प्रेमनारायण कुवॉरा फौत हो चुका हैं। विवादित आराजी के मूल खातेदार शान्तीलाल के अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 जायज वारिसान एवं कायम मुकामान हैं। जबकि अपीलान्ट मुतक शान्तीलाल की पुत्री होने के कारण रेस्पोडेन्ट कम 1 के बराबर 1/2 हिस्सा आराजी की उत्तराधिकारी हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम महरावता का नामान्तरकरण संख्या 246 दिनांक 24.06.1984 निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि खातेदार के वारिसों की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार किशनगंज को भेजी जावें।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त कलक्टर
शाहाबाद (बारां)